ISSN 0996-231X

Ratna-Garbha

A Bi-Annual Peer Reviewed Refereed

Research Journal of Social Sciences & Humanities

Vol. : 18 No. 2 **SEPTEMBER 2021**

Published by :

Social Sciences & Humanities Development Association,

Janak Nagar, Hesal, Ratu Road, Ranchi, Jharkhand

Website : www.ratnagarbha.co.in

ISSN 0996-231X

RATNA-GARBHA

A Bi-Annual Peer Reviewed Refereed
Research Journal of Social Sciences & Humanities

Editor

Dr. Sunil Kumar

email.Id : drsunilkumar267@gmail.com
Website : www.ratnagarbha.co.in

Published by :
Social Sciences & Humanities Development Association,
Janak Nagar, Hesal, Ratu Road, Ranchi-834005, Jharkhand

© **Social Sciences & Humanities Development Association,**
Janak Nagar, Hesal, Ratu Road, Ranchi, Jharkhand

Copies : 300
Price Rs. 1000/-

Composing & Printing :
HARSH COMPUTER & XEROX
Shop No. : 3, Saraswati Complex, Opp. Kalkota Pharma,
Radium Road, Ranchi-834001
Mob.No. : 8102339757, 9570028550,8252188750
Email.Id : jeetukumar4.5.1990@gmail.com

RATNA-GARBHA

A Bi-Annual Peer Reviewed Refereed
Research Journal of Social Sciences & Humanities

Published by :
Social Sciences & Humanities Development Association,
Janak Nagar, Hesal, Ratu Road, Ranchi, Jharkhand

Editor : ***Dr. Sunil Kumar,*** *Gold Medalist (Philosophy), M. Sc. (Anthropology), M.A. (Sociology & Psychology), M.A.(Philosophy, Hindi,Sanskrit, Jyotirvigyan, Archaeology & Museology), Ph. D. (Sanskrit).*
Former Head , Departement of Sociology,
Mahendra Prasad Mahila Mahavidyalaya,
Ranchi. ***(Mobile No.9798370446)***
email.Id : drsunilkumar267@gmail.com
Website : www.ratnagarbha.co.in

Co-Editor : **Dr. Umesh Kumar**
M.A. (Sociology), Ph.D.
Head, Department of Sociology
Marwari College, Ranchi
Ranchi University, Ranchi
(Mob.No. 9431972480)

Managing Editor: ***Mrs. Ranjana Kumari,*** *M.A. (Pol. Sc.)*,
Secretary, Social Sciences & Humanities Development Association, Ranchi
Janak Nagar, Hesal, Ratu Road,
Ranchi, Jharkhand
(Mobile No. 9525539570)

ADVISORY EDITORIAL BOARD

1.	**Dr. S. S. Kushwaha**	:	Former Vice-Chancellor, Ranchi University, Ranchi. & Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi.
2.	**Dr. R. S. Tripathi**	:	Former Head, Deptt. of Puranetihas Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, B.H.U., Varanasi.
3.	**Dr. C.K. Shukla**	:	Prof. of Sanskrit & Former Dean, faculty of Humanities, Ranchi University, Ranchi.
4.	**Dr. Raj Kumari Sinha**	:	Prof. of Philosophy Former Head, Deptt. of Philosophy Doranda College, Ranchi
5.	**Dr. A. Usmani**	:	Former Head, Deptt. of Urdu, Ranchi University, Ranchi.
6.	**Dr. K.C. Tripathi**	:	Prof. of Sanskrit, Faculty of Humanities, N.C.E.R.T., New Delhi.
7.	**Dr. V.P. Sharan**	:	Former Pro.Vice Chancellor Ranchi University, Ranchi.
8.	**Dr. S. N. Choudhury**	:	Prof. of Sociology & Dean Faculty of Social Sciences Rajeev Gandhi Chair, Barkatullah University, Bhopal, M. P.
9.	**Dr. D. Solanki**	:	Prof. of Ancient Indian History, Culture & Archaeology Vikram University, Ujjain.
10.	**Dr. Rita Shukla**	:	Former Director, Deptt. of Journalism & Prof. of Hindi, Ranchi University, Ranchi.
11.	**Dr. Manorma Mishra**	:	Former Head, Deptt. of Home Science, Ranchi University, Ranchi

12. **Dr. Rajnish Shukla** : Former, Head, Deptt. of Comparative Religion, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi.

13. **Dr. P.K. Singh** : Prof. of Anthropology & C.C.D.C. Ranchi University, Ranchi.

14. **Dr. Sudesh Kumar Sahu**: Head, Deptt. of Commerce & Business Management, Ranchi University, Ranchi.

15. **Dr. Mamta Garg** : Head, Deptt. of History Rajeev Gandhi Govt. P.G. College, Ambikapur, Chhatisgarh

16. **Dr. M.N. Daftuar** : Prof. of Psychology Former Head & Former Dean, Social Sciences, M.S University, Barodara

17. **Dr. Rakesh Narayan** : Former, Head, Deptt. of Geography, Ranchi University, Ranchi.

18. **Dr. Shradha Srivastva** : Former, Head, Deptt. of Music Ranchi Women's College, Ranchi.

19. **Dr. Kiran Mishra** : Former, Head, Department of English Ranchi University, Ranchi

20. **Dr. Ramesh Sharan** : Former, Head, Department of Economics Ranchi University, Ranchi

21. **Dr. Mitali Roy** : Head, Department of Political Science Ranchi University, Ranchi

CONTENT

Vol. 18 No. 2 **September 2021**

1.	"Impact of Micro Finance on SHG Group	:	**Dr. Santoshi Aru**	**01-19**
2.	Hindustan Copper Limited and Foreign Trade	:	**Dr. Purwa**	**20-34**
3.	Brief Evaluation of Demonetization and its impact on Indian Economy	:	**Ashish Kumar Chourasia** : **Dr. Sudesh Kumar Sahu**	**35-43**
4.	Multi-National Corporation and Industrial Labor Practices in India	:	**Deepak Kumar Sahu**	**44-49**
5.	Mobile Commerce and Online Payments	:	**Sunny Toppo**	**50-57**
6.	Heavy Engineering Corporation Limited: A Question Mark On survival	:	**Zainab Farooqui**	**58-63**
7.	Consumption of Alcohol and drugs among adolescent boys and girls in an industrial town of Jharkhand State	:	**Dr. Shivanand Nandu**	**64-67**
8.	Golden Era of Kathak During The Mughal Period	:	**Chandra Shalini Kujur**	**68-71**
9.	RUPEE DEPRECIATION AND ITS IMPACT ON THE INDIAN ECONOMY	:	**Ananya Priya & Prof. (Dr.) Sudesh Kr Sahu**	**72-78**
10.	FINANCIAL PERFORMANCE OF AUTO-MOBILE SECTOR IN INDIA	:	**Shailee Upadhayay &** : **Prof. (Dr.) Sudesh Kr Sahu**	**79-84**
11.	Analysis on Investment Pattern of Life Insurance Corporation of India	:	**Juhi Kumari &** : **Prof. (Dr.) Sudesh Kr Sahu**	**85-89**
12.	AWARENESS OF PRIVILEGE STUDENTS FOR RAISING THEIR MORAL VALUES.	:	**Kumari Priya Yadav**	**90-93**
13.	The Role of Non-Governmental Organizations in Rural Development in Jharkhand	:	**Jitendra Kumar**	**94-100**
14.	Influence of Motivation in Learning	:	**Ankita Dulari Guria**	**101-104**
15.	Problems of Teacher Education in India, Remedies to Problems	:	**Rashmi Sandhya Bhengra**	**105-109**

16.	Relevance of Bhagvad Gita in Modern Management	: **Pawitra Bhuniya**	**110-117**
17.	Impact of Socio-Economic Status on Intelligence of Children (Infancy to Adolescence)	: **Dr. Kumari Anamika**	**118-129**
18.	Personality Traits and Marital Satisfaction	: **Dr. Kalyani Jha**	**130-140**
19.	A New Paradigm for Accounting through Cloud Computing	: **Gunjan Kumari** : **Dr. Amar Kr. Chaudhary**	**141-154**
20.	Growth of Public Sector in India In Pre Liberalization Period	: **Surbhi Kachhap**	**155-159**
21.	छऊ नृत्य के मुखौटेःउद्भव, विकास एवं भविष्य	: **उदय कृष्ण महतो**	**160—165**
22.	जनजातीय समुदाय में पलायन की प्रकृत्ति	: **अनिमा लकड़ा**	**166—169**
23.	मानव पूंजी प्रबंधन और श्रम कल्याण	: **पूनम कुमारी**	**170—172**
24.	झारखण्ड में पर्यटन—एक परिचय	: **श्वेता शाहदेव**	**173—180**
25.	शिबू सोरेन (झारखण्ड मुक्ति मोर्चा)	: **स्मिता तिग्गा**	**181—186**
26.	आधुनिक युग में बौद्ध धर्म का पुनरूत्थान	: **ममता कुमारी**	**187—193**
27.	झरिया कोयला उत्खनन क्षेत्र का स्वास्थ्य परप्रभाव	: **पूनम मेहता** : **डॉ. शशिकान्त टोप्पो**	**194—202**
28.	भारतीय लोकतंत्र : न्यायिक सक्रियता	: **विनय जे. जॉन**	**203—209**
29.	भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	: **बिन्दु बी. बास्की**	**210—221**
30.	गिरिधारी राम गौंझू की रचनाओं में झारखण्ड की संस्कृति	: **करमी माँझी**	**222—226**
31.	गुमला जिला में कृषि विकास एवं नियोजन	: **अनुपमा विनीता मिंज**	**227—232**
32.	बुद्धिजीवी, झारखंड आंदोलन और प्रांतीय पत्रकारिता	: **अंजु कुमारी**	**233—239**

33.	**معاشی ترقی میں علم کی اہمیت** کوئی ملک یا معاشرہ کسی بھی قسم کی ترقی کا تصور ہی نہیں کرسکتا جب تک وہ معاشرے یا قوم علم کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرلیتے اور اس کو اپنے ملک کی ترقی کیلئے ناگزیر نہیں سمجھ لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم جائزہ لیں تو وہی ملک ترقی کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں جنہوں نے علم	: **Aftab Alam**	**240–241**
34.	"अथर्ववेद में समाज नीति"	: **डॉ.रामनारायण पण्डित**	**242–245**
35.	झारखण्ड में खनिज क्षेत्रों का अध्ययन	: **शिल्पी कुमारी**	**246–253**
36.	उराँव जनजातीय धार्मिक कृत्य एवं त्योहारों से संबंधित देशज ज्ञान	: **विमल कच्छप**	**254–260**
37.	झारखण्ड की जनजातीय अर्थव्यवस्था	: **अर्चना टोप्पो**	**261–267**
38.	भारत में पर्यावरण आन्दोलन के कारण एवं परिणाम	: **प्रेरणा कुमारी**	**268–278**
39.	भारत में अठारवीं व उन्नीसवीं सदी में महिला आंदोलन	: **स्वीटी कुमारी**	**279–287**
40.	मुण्डा जनजाति की महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति	: **सबिता लकड़ा**	**288–294**
41.	कालिदास की रचनाओं के सामाजिक सांस्कृतिक तत्व एवं काव्य सौन्दर्य	: **डॉ. सुनीता कुमारी जायसवाल**	**295–299**
	Membership Form		**300-301**

भारतीय लोकतंत्र : न्यायिक सक्रियता

विनय जे० जॉन*

भारतीय लोकतंत्र के चार महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं– न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता इन चारों की सक्रियता, सम्बद्धता और सजगता पर ही सारा, दारोमदार टिका है, जब भी इनमें से कोई एक या दो किन्ही कारणों से थोड़े ढीले पड़ते हैं या अपने दायित्व के प्रति लापरवाही दिखाते हैं, लोकतंत्र की गाड़ी पटरी से उतरने लगती है, असल में तो कार्यपालिका और विधायिका ही नीतिगत निर्णय लेने, उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है ये सुचारू रूप से काम कर रही है या नहीं, ये देखने का काम न्यायपालिका करती है, जब कोई संस्था अपना दायित्व ठीक ठाक ढंग से नहीं निभाती तो न्यायपालिका को ज्यादा सक्रियता दिखानी पडती हैं।[1]

न्यायपालिका की इस सक्रियता को न्यायिक सक्रियता का नाम दिया है, दूसरे शब्दों में जब सरकार के तीन अंगों में कार्यपालिका और विधायिका अपने दायित्व से विमुख होने लगती है, तो सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिक द्वारा उसे अपने कर्त्तव्य पथ पर लाने के लिए विभिन्न प्रकार से आदेश देने पड़ते हैं वही न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता है।

वर्त्तमान भारतीय शासन व्यवस्था में न्यायिक सक्रियता नामक शब्द बहुत अधिक सुर्खियों में हैं, ऐसे तो न्यायिक सक्रियता नामक शब्द की चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गयी है, लेकिन भारत के पूर्व न्यायाधीश पी. एन. भगवती के विचारानुसार जिन ''व्यवस्थाओं में न्यायालयों को पुनर्विलोकन का अधिकार है, वहीं न्यायिक सक्रियता होती है, न्यायिक सक्रियता का स्वरूप तकनीकी और सामाजिक होता है।

न्यायालय का कार्य संवैधानिक पदावलियों की व्याख्या के साथ–साथ अब देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी बढ़ गया है, न्यायिक सक्रियता के ऐतिहासिक पहलू को देखने पर स्पष्ट होता है कि गोलकनाथ बनाम् पंजाब राज्य 1967 में सवोच्च न्यायालय में मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निहित है तथा संविधान के भाग तीन में संशोधन करने की शक्ति नहीं देता है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में पहली बार सक्रियता का परिचय दिया, बाद में संसद में 24वें संविधान संशोधन द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय को अप्रभावी बना दिया, सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती 1974 के मामले में 24वें संशोधन को यह कहते हुए विधिमान्य बताया कि संसद किसी भी संशोधन के तहत् संविधान के मूलभूत ढाँचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है, 42वाँ संविधान संशोधन द्वारा संसद ने न्यायालय के निर्णय को अप्रभावी बनाते हुए यह व्यवस्था की कि अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन न्यायपालिका मिनर्वा मिल 1980 के मामले में 42वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खण्ड–4 और 5 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया कि यह संविधान के मूलभूत ढाँचे को प्रभावित करते हैं।[2]

पीपुल्स युनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम् यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 के निर्णय में यह निर्धारित किया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि न्याय पाने के लिए पीड़ित या शोषित व्यक्ति की याचिका दायर करें, पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा

***विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, गोस्नर कॉलेज, राँची**

भी याचिका दायर की जा सकती है, यहीं जनहित याचिका वाद की शुरूआत होती है, जनहितवाद याचिका न्यायापालिका की सक्रियता में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण बड़ा कारण है।

न्यायिक सक्रियता के पीछे महत्वपूर्ण हाथ लोकहित याचिका का है या यह कहें कि न्यायिक सक्रियता का आधार जनहित याचिका है तो ज्यादा उचित एवं स्पष्ट होगा न्यायिक सक्रियता के बारे में पूरी जानकारी के लिए लोकहित याचिका पर संक्षिप्त जानकारी आवश्यक है।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद 32 के अधीन यह वर्णित है कि संविधान से लाभ पाने का अधिकार उसी व्यक्ति को है कि जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है, लोकहितवाद को परिभाषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि 'समाज के निधन और कमजोर वर्ग के लोगों के संविधानिक और विधिक अधिकारों में इसका काफी महत्व है।'', लोकतंत्र में जनहितवाद विधि शासन का एक आवश्यक तत्व है, जनहितवाद का महत्व इससे अधिक है कि कमजोर और गरीब व्यक्ति जो न्यायालय में जाने में असमर्थ है, उसकी क्षति से सम्बंधित याचिका अनुच्छेद 32 के तहत् किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है।

जनहितवाद के लिए कुछ आवश्यक तत्त्व इस प्रकार हैं–

- पीड़ित पक्ष न्यायालय में जाने में असमर्थ हो,
- यह याचिका पत्र द्वारा न्यायालय को सम्बंधित करके लिखी जा सकती है।
- पत्र में शपथ–पत्र या कोई फीस आवश्यक नहीं है।
- याचिका किसी भी संस्था या व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है।
- याचिका को लोकहित से संबंधित होना चाहिए।[3]

इन दिनों सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले यथा– रिश्वत कांड, हवाला काण्ड इत्यादि जनहित याचिका के ही प्रतिफल है, जो कि देश के लिए एक शुभ सूचना है, आज भारत में विकास के लिए जो विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, वह लोकहित याचिका यानि न्यायिक सक्रियता की ही देन है, न्यायिक सक्रियता का ही नतीजा है कि राज्य सरकार को जागना पड़ रह है, भ्रष्टाचार में लिप्त राजनेताओं और बड़े–बड़े अधिकारियों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं।4

इस याचिका की जहाँ इतनी अच्छाईयाँ है वहीं इसके कई नकारात्मक पहलू भी हैं– न्यायिक सक्रियता के नाम पर आज कार्यपालिका के कार्यों में सीधे हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसे अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता, कुछ आलोचक यह भी आरोप लगाते है कि न्यायालय को लोकहित याचिक के माध्यम से तानाशाही स्थापित करने का अच्छा मौका मिला है।

जो भी हो, लोकहित याचिका के मार्फत अनावश्यक मुकदमा की बाढ़ आ गई है, बेवजह अनेक मुद्दों पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है जिससे इस याचिका को महत्ता कम हो सकती है, अतः बेवजह की याचिका रोकने हेतु ठोस उपाय किए जाने चाहिए।

- 'न्यायिक सक्रियता' शब्द का प्रयोग प्रायः 'न्यायिक संयम' के विपरीत आशय में किया जाता है। न्यायिक सक्रियता एक बदलते समाज में न्यायिक दृष्टिकोण की एक गतिशील प्रक्रिया है। ऑर्थर स्लेसिंगर जूनियर ने जनवरी 1947 में फॉर्च्यून पत्रिका में प्रकाशित 'द सुप्रीम कोर्ट : 1947' शीर्षक लेख में पहली बार ''ज्यूडिशियल एक्टिविज़्म'' शब्द का प्रयोग किया था।

- ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अनुसार, न्यायिक सक्रियता एक 'न्यायिक दर्शन है जो न्यायाधीशों को पारंपरिक पूरब–दृष्टांतों या निर्णयों से हटकर प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में आगे बढ़ने को प्रेरित करती है।'[6]
- न्यायालयों की न्यायिक सक्रियता के माध्यम से विधि निर्माण में नए आयाम ग्रहण कर लिये गए हैं। न्यायपालिका ने सामाजिक संदर्भ में विधि की व्याख्या करने की एक स्वस्थ प्रवृत्ति को अपनाया है।[7]
- न्यायिक सक्रियता उन न्यायिक निर्णयों को प्रकट करती है जिन पर विद्यमान विधि के बजाय व्यक्तिगत या राजनीतिक विचारों पर आधारित होने का संदेह है।
- न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्णय देते समय विधि की व्याख्या संविधान के अनुसार करें। लेकिन न्यायिक सक्रियतावादी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विधिक मामलों पर विधि निर्माण के लिये अपनी इच्छा का प्रयोग करते प्रतीत होते हैं।
- न्यायिक सक्रियता का प्रश्न संवैधानिक व्याख्या, सांविधिक संरचना और शक्तियों के पृथक्करण से घनिष्ट रूप से संबंधित हैं। इसे कभी–कभी न्यायिक संयम के विलोम के रूप में भी उपयोग किया जाता है।
- मामलों पर निर्णय लेते समय न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विधि की व्याख्या और उसका प्रवर्तन समकालीन परिस्थितियों व मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों के आधार पर किया जाए। चूँकि समाज में परिवर्तन होता रहता है और उसकी मान्यताएँ व मूल्य भी बदलते रहते हैं, न्यायालयों के निर्णयों में उनका प्रतिबिंबन होना चाहिये।
- न्यायिक सक्रियता के विचार के अनुसार न्यायाधीशों को अन्यायपूर्ण कृत्यों के प्रतिकार के लिये अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिय विशेष रूप से जब सरकार के अन्य अंग इस दिशा में प्रयास नहीं करते।
- न्यायालयों को नागरिक अधिकारों, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा, राजनीतिक भेदभाव और सार्वजनिक नैतिकता जैसे विषयों पर सामाजिक नीति को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये।[8]
- मेनका गाँधी मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित निर्णय आदि न्यायिक सक्रियता के उदाहरण हैं।
- डिवीजनल मैनेजर, अरावली गोल्फ कोर्स बनाम् चंदर हास मामले (2008) में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण पर विस्तार से चर्चा की। भारत का संविधान न्यायपालिका के सुपर लेजिस्लेचर बनने या अन्य दोनों अंगों की विफलता की स्थिति में एक विकल्प बनने की परिकपनाएँ नहीं करता। इस प्रकार न्यायपालिका को अपनी सीमाएँ निर्धारित करने की आवश्यकता है।
- न्यायिक संयम का एक उदाहरण राजस्थान राज्य बनाम् भारत संघ का मामला है जिसमें न्यायालय ने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया कि इसमें एक राजनीतिक प्रश्न शामिल था और इसलियें न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करेगा।[9]
- एस0आर0 बोम्मई बनाम् भारत संघ मामले में न्यायाधीशों ने कहा कि कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ राजनीतिक तत्व अभिभावों होते हैं और वहाँ न्यायिक समीक्षा संभव नहीं होती।

- अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग को एक राजनीतिक प्रश्न माना गया है और इसलिये न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। न्यायमूर्ति अहमदी ने कहा कि राजनीतिक निर्णयों के परीक्षण के लिये न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानदण्डों को विकसित करना कठिन है और यदि न्यायालय ऐसा करते हैं तो यह राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना और राजनीतिक विवेक को प्रश्नगत करना होगा, जिनसे न्यायालय को बचना चाहिये।[10]
- अलमित्रा एच पटेल बनाम् भारत संघ मामले में दिल्ली में स्वच्छता के मुद्दे पर नगर निगम को निर्देश देने के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह नगर निगम को यह निर्देश दे कि वह अपने बुनियादी कार्य कैसे करे और उसकी कठिनाईयों को कैसे दूर करें।[11] न्यायालय अधिकारियों को केवल यह निर्देश दे सकता है कि वे विधि ारा सौंपे गए कार्यों के अनुरूप अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करें।
- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए0एस0 आनन्द ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में कहा कि न्यायिक सक्रियता 'न्यायिक दुस्साहस' न बन जाए, इसके लिये आवश्यक है कि न्यायाधीश अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन में सतर्कता व आत्म–अनुशासन का पालन करें। न्यायिक सक्रियता का सबसे बड़ा दुष्परिणाम इसकी अप्रत्याशितता है। यदि न्यायाधीश आत्म–संयम का अभ्यास नहीं करेंगे तो प्रत्येक न्यायाधीश स्वयं में ही एक कानून बन जायेंगे और वे अपनी व्यक्तिगत अच्छाओं पर निर्देश जारी करने लगेंगे, जिससे अराजकता पैदा होगी।
- भारत का उच्चतम न्यायालय अपने प्रारंभिक वर्षों में रूढ़िवादी बन रहा लेकिन बाद के वर्षों में न्यायमूर्ति गजेन्द्रगडकर, कष्णा अय्यर, पी0एन0 भगवती आदि, जिन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेंद 14, 19 और 21 की व्याख्या के बहाने न्यायिक निर्णयों द्वारा कई विधिक मानउण्डों का सृजन किया, के सामाजिक दर्शन के माध्यम से न्यायिक सक्रियता का ऊीार हुआ।[12]
- भारतीय संविधान का भाग–III वाक् स्वतंत्रता दैहिक स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों का उपबंध करता है जो प्रवर्तनीय हैं।[13]
- दूसरी ओर भाग–IV जिसे 'राज्य के नीति निदेशक तत्व' कहा जाता है, में कार्य, शिक्षा, आजीविका निर्वाह और स्वास्थ्य के अधिकार जैसे सामाजिक–आर्थिक आदर्श शामिल हैं जो प्रवर्तनीय नहीं हैं लेकिन जिनकी प्राप्ति के लिये राज्य को प्रयास करने के लिये निर्देशित किया गया है।
- हालांकि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निदेशक तत्व अप्रवर्तनीय हैं लेकिन भारत के उच्चतम न्यायालय ने इनमें से कुछ को मूल अधिकारों के रूप में देखते हुए (जैसे उन्नीकृष्णन मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा गया) प्रवर्तित किया है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित मामलों में भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की एक सक्रिय भूमिका रही है।
- अनुच्छेद 21 में कहा गया है–किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं।[14]
- ए0के0 गोपालन बनाम् मद्रास राज्य मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिये न केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये, बल्कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष, तार्किक और न्यायसंगत भी होनी चाहिये।[15] किसी अन्य दृष्टिकोण को अपनाने पर

अनुच्छेद 21 में सम्यक प्रक्रिया को शामिल करना होगा जिसे संविधान के निर्माण के समय इसमें शामिल नहीं किया गया था।[16]

- मेनका गाँधी बनाम भारत संघ मामले में न्यायिक व्याख्या द्वारा अनुच्छेद 21 में सम्यक प्रक्रिया की इस आवश्यकता को शामिल कर लिया गया। इस प्रकार, सम्यक प्रक्रिया का उपखण्ड जिसे संविधान निर्माताओं द्वारा सतर्कतापूर्वक और जान–बूझकर छोड़ दिया गया था, उसे भारतीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक सक्रियता के माध्यम से संविधान में शामिल कर दिया गया।[17]
- भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक सक्रियता के एक और वृहत दौर के आरंभ तब हुआ जब इसने अनुच्छेद 21 में शामिल 'जीवन' शब्द की व्याख्या केवल जीवित रहने या जैविक अस्तित्व तक सीमित रूप से करने की बजाय गरिमापूर्ण मानव जीवन के रूप में की।[18]
- फ्रांसिस कोर्ली बनाम् केंन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार केवल पशवत अस्तित्व तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ शारीरिक उत्तरजीविता से बढ़कर है।
- न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। मानवीय गरिमा के लिये बुनियादी आवश्यकताओं का पूरा होना सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं में पर्याप्त पोषण, वस्त, आवास, पढ़ाई–लिखाई एवं विभिन्न तरीकों से स्वयं को अभिव्यक्त करने की सुविधा, निर्वाध विचारण और लोगों के साथ घुमने–मिलने की स्वतंत्रता भी शामिल है।
- आर0 राजगोपाल बनाम् तमिलनाडु राज्य मामले में एक नए अधिकार निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल माना गया। न्यायालय ने कहा कि किसी नागरिक को अन्य विषयों के साथ स्वयं की, परिवार की, विवाह, संतानोत्पत्ति, मातृत्व गर्भधारण, शिक्षा आदि के संबंध में निजता की रक्षा का अधिकार प्राप्त हैं।

वस्तुतः उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत् गारंटीकृत जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है। कपिला हिंगोरानी बनाम् भारत संघ मामले में भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंग के रूप में चिन्हित किया गया जहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह राज्य का कर्त्तव्य है कि उन परिस्थितियों में आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जहाँ लोग भोजन का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। न्यायालय ने यह भी माना है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार मूल अधिकारों में से एक है जो जीवन के अधिकार में शामिल है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखभाल क अधिकार, जलकुण्डों, तालाब, जंगल आदि का संरक्षण (जो गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करते हैं), पारिवारिक पेंशन का अधिकार, विधिक सहायता व विधिक परामर्शदाता पाने का अधिकार, यौन उत्पीड़न के विरूद्व सुरक्षा का अधिकार, दुर्घटनाओं के मामले में चिकित्सा सहयता का अधिकार, एकांत कारावास के विरूद्व सुरक्षा का अधिकार, हथकड़ी ओर जंजीर से बंदी बनाए जाने के विरूद्व सुरक्षा का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, पुलिस अत्याचार, यातना और हिरासत में हिंसा के विरूद्व सुरक्षा का अधिकार, कारावास नियमों के अनुरूप साक्षात्कार देने और आंगतुकों से मिल सकने का अधिकार न्यूनतम मजदूरी का अधिकार आदि को अनुच्छेद 21 में अभिव्यक्त 'जीवन के अधिकार' में शामिल करने का निर्णय लिया गया।[19]

निष्कर्षत : संविधान में शासन के तीनों अंगों–कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच काम तथा अधिकारों के विभाजन और परस्पर अनुशासन की व्यवस्था भी सूत्रबद्ध की गयी है, इसलिए दूसरे अनेक पड़ोसी देशों के विपरीत हमारे यहाँ उनके बीच किसी विस्फोटक टकराव की गुंजाइश काफी कम हैं।

आखिरकार, खुद सर्वोच्च न्यायालय से भी न्यायिक हस्तक्षेप की अति के खिलाफ आवाज उठी है। देश की सबसे ऊँची अदालत ने न्यायिक संयम बरते जाने की जरूरत पर जोर दिया है। अदालतों को याद दिलाया है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के अधिकारों व शक्तियों का विभाजन रखा गया है, उसका उल्लंघन कर कार्यपालिका तथा विधायिका के क्षेत्र का अतिक्रमण करने से बचा जाना चाहिए। पिछले दिनों में दिए एक दूरगामी बहस उठाने वाले फैसले में न्यायमूर्ति ए0के0 माथुर तथा मार्केन्डेय काटजू ने अनेक उदाहरण देकर इस बढ़ती प्रवृत्ति की ओर इशारा किया है और शासन के तीनों स्तम्भों यानी कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की संविधान में निर्देशित बराबरी की रक्षा करने की जरूरत पर जोर दिया है। खुद सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर इन महत्वपूर्ण मुद्दों के उठाए जाने के सिलसिले में यह याद दिलाना भी जरूरी है। संसद के पिछले एक सत्र में दोनों सदनों में हुई चर्चा में, विधायिका के कार्यक्षेत्र में न्यायपालिका की बढ़ती दखलंदाजी की बार–बार शिकायत की गयी थी। यही नहीं, इस शिकायत के हिस्से के तौर पर न्यायपालिका को पहले खुद अपना घर देखने का उलाहना भी दिया गया और करोड़ो विचाराधीन पड़े मामलों की याद दिलायी गयी थी।

भारतीय लोकतंत्र में लिखित संविधान द्वारा शासित है। इस संविधान में शासन के तीनों अंगों–कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच काम तथा अधिकारों के विभाजन और परस्पर अनुशासन की व्यवस्था भी सूत्रबद्ध की गयी है, इसलिए, दूसरे अनेक पड़ोसी देशों के विपरीत हमारे यहाँ उनके बीच किसी विस्फोटक टकराव की गुंजाइश काफी कम है। फिर भी, परस्पर खींज–तान तथा धीरे–धीरे अधिकार क्षेत्र के विस्तार की गुंजाइश हमेशा रहती है, जो जाहिर है कि तेजी से बदलावों के किसी भी दौर में और भी बढ़ जाती है। आज यही हो रहा है। ठीक इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के दो सदस्यीय पीठ का, न्यायपालिका को उसकी सीमाओं की याद दिलाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

कहने की जरूरत नहीं है कि संक्रमण के ऐसे किसी दौर में जनता के हितों की रक्षा के लिए ज्यादा भरोसा शासन के उन बाजुओं पर ही किया जा सकता है, अपने अस्तित्व के लिए जन–प्रतिनिधित्व पर निर्भर है। इसीलिए शायद यह कहने का वक्त आ गया है कि अगर वीटो अधिकार के अर्थ में शासन के किसी बाजू की किसी भी तरह की सर्वोच्चता की वैधता हो सकती है, तो सार्वभौम जनता के प्रतिनिधि के रूप में विधायिका की ही हो सती है। कानून का शासन, जनता की अच्छा से परिभाषित न्याय का शासन ही हो सकता है, न्यायाधीशों का शासन नहीं। यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था की ताकत को ही दिखाता है कि अब खुद सर्वोच्च न्यायालय से भी न्यायिक–अति के खिलाफ आवाज उठी है।

संदर्भ सूची

1. बॉबेल, बंसीलाल, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2000, पंचम संस्करण, पृष्ठ 52
2. आर0के0 गर्ग बनाम् यूनियन इंडिया (ए0आई0आर0 1981 एस0सी0 2138), एयर इंडिया बनाम् नरगिस मिरजा (ए0आई0आर0 1981 एस0सी0 564)

3. मेनका गाँधी बनाम् यूनियन ऑफ इंडिया (ए0आई0आर0 1978 एस0सी0 507)
4. अवस्थी, ए0पी0 भारतीय शासन एवं राजनीति, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा 2006
5. अग्रवाल आर0सी0 भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन, एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी, दिल्ली, 2000
6. अग्रवाल, बालमुकुन्द, हमारी न्यायपालिका, नेशनल बुक ट्रॅस्ट इंडिया नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1996, पृष्ठ 172
7. बासु डी0डी0, भारत का संविधान– एक परिचय, बाधवा एण्ड कम्पनी, नागपुर, सातवां संस्करण 1999, पृष्ठ 96
8. जवाहर लाल नेहरू, (सम्पादक एवं अनुवादक निर्मला जैन, 1996) भारत की खोज संक्षिप्त संस्करण), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, पृष्ठ 171
9. जेड0 एम0 खान, 2015, भारत में मुसलमानों का राजनीतिक सशक्तिकरण, जेनयुविन पब्लिकेशनस एण्ड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ 31
10. सुभाष काश्यम, 2009, हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, पृष्ठ 25
11. सुभाष काश्यप, 2009, हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, पृष्ठ 28–29
12. केरल राज्य बनाम् मदर प्रोविशियल ए0आई0 1970 एस0सी0 2079, जेवियर कॉलेज बनाम् गुजरात राज्य, ए0आई0आर0, 1970, एस0सी0 1389, सिद्धराज भाई बनाम् गुजरात राज्य, ए0आई0आर0, 1962 एस0सी0 998
13. आखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन, लखनऊ (स्टेट्समैंन, 29.12.19780, 11.12.2002), देखिल केरल में मुस्लिम की मांग (स्टेट्समैंन– 27.12.2005)?
14. बह्मचारी सिद्देश्वर सहाय बनाम् पश्चिम बंगाल राज्य, (1995) एस0सी0, पृष्ठ 646
15. नैनसुख बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य, ए0आई0आर0 1953 एस0सी0 495
16. ताहिर महमूद, (2016), माइनारिटीज कमीशन 1978–2015, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग लेक्सेस नेक्सिन, गुड़गाँव, (हरियाणा) पृष्ठ 78
17. दत्ता रजनो पाय (2000) आज का भारत (अनुवाद इंडिया टुडे अनुवाद आनन्द स्वरूप वर्मा दि मैकमिलन कम्पनी ऑफ इंडिया लि0 नई दिल्ली, वोल्यूम– प्प्ए पृष्ठ 35–38)
18. दामोदर मिश्रा, अखिल शुक्ला, 2017, मानवाधिकार दशा और पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ 92